न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

उपस्थितः–सुरेन्द्र मोहन सहाय, (एच 0 जे0 एस 0)

(J.O.Code-U.P 6117)

****

सत्र परीक्षण संख्या-106/2017
Computer Registration No.120/2017
CNR No.UPFZ01–001118–2017

राज्य उत्तर प्रदेश ..... **अभियोजन पक्ष**।

बनाम

1. **राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा** पुत्र स्व०रतिपाल प्रजापति।
2. **राजेन्द्र कुमार** पुत्र स्व० रतिपाल प्रजापति।
3. **शेरू** पुत्र राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा।

समस्त निवासीगण बढ़ई का पुरवा सहादतगंज, थाना कैंट, जनपद अयोध्या।

.....**अभियुक्तागण/बचाव पक्ष**।

मु0 अ 0 सं0 336/2016
धारा 302, 504 भा0 दं0 सं0,
थाना कैण्ट, जिला–अयोध्या।

नि र्ण य

1. पुलिस थाना कैण्ट, जिला अयोध्या की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-336/2016 में अभियुक्तागण **1.राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, 2.राजेन्द्र कुमार एवं 3.शेरू** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 302, 504 भारतीय दण्ड संहिता प्रेषित आरोप पत्र पर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली सत्र सुपुर्द किये जाने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

2. संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी शिव प्रसाद पुत्र स्व० हरीराम निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर दरियापुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 03.10.2016 को थानाध्यक्ष कैण्ट को लिखित तहरीर दी गई कि उसकी बहन अनीता की शादी शहादतगंज बढ़ई का पुरवा फैजाबाद में स्व० शिव कुमार पुत्र रतीपाल प्रजापति के साथ हुई है, जिनकी 2013 में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने घर के बगल जमीन खरीदी थी। अनीता की कॉलोनी पास हो गयी थी, जो बनवाना चाहती थी, जो उनके दोनों ज्येष्ठ और उनके पुत्र नहीं बनवाने दे रहे थे। वो कह कह रहे थे हम कालोनी नहीं बनने देंगे। वो आये दिन उनको गाली देते और मारने की धमकी देते थे। दिनांक 02.10.2016 को उनके जेठ राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा और उनके भाई राजेन्द्र और राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा के पुत्र शेरू तीनों लोगों ने मिलकर उनको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिससे उनकी हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.03.13 16:20:45 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उचित कार्यवाही करें।

3. वादी **शिव प्रसाद** की तहरीर **प्रदर्श क-1** के आधार पर थाना-कैण्ट, जनपद-अयोध्या में मुकदमा अपराध संख्या 336/2016, अन्तर्गत धारा-504, 506, 326 भारतीय दण्ड संहिता विरूद्ध अभियुक्तागण **1.राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, 2.राजेन्द्र कुमार एवं 3.शेरू** के विरूद्ध पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी, चिक एफ.आई. आर **प्रदर्श क-5** के रूप में संलग्न पत्रावली है। उक्त मुकदमें की कायमी जी0 डी0 **प्रदर्श क-6** पत्रावली पर संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त मुकदमा की कायमी दिनांक 03.10.2016 को समय 17.25 बजे रोजनामचा सं० 39 पर की गई है।

4. संबंधित पुलिस थाना-कैण्ट, जनपद-अयोध्या में अभियुक्तगण **1.राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, 2.राजेन्द्र कुमार एवं 3.शेरू** के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के पश्चात उसी दिन विवेचना, उप निरीक्षक संजय कुमार यादव द्वारा ग्रहण की गई। दिनांक 09.10.2016 मज़रूबा अनीता की दौरान इलाज मृत्यु हो जाने के कारण विवेचना थानाध्यक्ष थाना कैण्ट राजीव सिंह द्वारा ग्रहण की गई और दौरान विवेचना, विवेचक ने वादी शिव प्रसाद, कोमल का मजीद बयान लिया तथा अभियुक्त राजकुमार व राजेन्द्र की गिरफ्तारी जिंगल वेल स्कूल के आगे रेलवे फाटक के पास से की गई और उसी समय अभियुक्तगण के बयान अंकित किये। मृतका अनीता के मृत्यु कालीन बयान का माननीय न्यायालय की अनुमति से अवलोकन किया। तत्पश्चात विवेचक राजीव सिंह का स्थानांतरण होने के पश्चात अग्रिम विवेचना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, थाना कैण्ट, जिला अयोध्या द्वारा ग्रहण की गई। विवेचक ने पूर्व किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 12.11.2016 को अभियुक्त शेरू को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया। मौके पर गिरफ्तारी मेंमों को **प्रदर्श क–7** तैयार किया, जिसका इन्द्राज उसी दिन जी०डी० रपट सं० 24 समय 13.30 बजे पर किया गया, जिसे **प्रदर्श क–8** के रूप में प्रमाणित किया। विवेचक ने मृतका का पंचनामा का अवलोकन किया तथा पंचनामा के गवाहों का बयान लिया। मजरूब की दौरान ईलाज मृत्यु हो जाने के कारण धारा-506, 326 भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर धारा-302 भारतीय दण्ड संहिता में तरमीम किया गया तथा बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन इन्जरी रिपोर्ट, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान गवाहान, स्वतन्त्र साक्षी, फर्द गवाह, पंचनामा गवाह, पी०एम०कर्ता गवाह, एफ.आई.आर लेखक गवाह एवं मृत्यु कालिक कथन के अवलोकन आदि की कार्यवाही के उपरान्त विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-336/2016 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-302, 504 भारतीय दण्ड संहिता **प्रदर्श क-9** के रूप में समक्ष न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2017 को अभियुक्तागण **1.राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, 2.राजेन्द्र कुमार एवं 3.शेरू** के विरूद्ध धारा-302, 504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तागण को पढ़कर सुनाया व

समझाया गया। अभियुक्तागण द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया और विचारण की मॉग की गयी।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तागण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः–

क्रम सं0	अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1.	पी0 डब्लू0-1	शिव प्रसाद (वादी मुकदमा)
2.	पी0 डब्लू0-2	डॉ०विपिन कुमार वर्मा (पोस्टमार्टम कर्ता)
3.	पी0 डब्लू0-3	लल्लू (तथ्य का साक्षी)
4.	पी0 डब्लू0-4	राम प्रसाद उर्फ गया प्रसाद (मृतका अनीता का भाई)
5.	पी0 डब्लू0-5	विवेचक निरीक्षक राजीव सिंह, थाना कैण्ट, अयोध्या
6.	पी0 डब्लू0-6	तहसीलदार विनीत कुमार (मृत्यु कालिक बयान लेखक)
7.	पी0 डब्लू०-7	चिक लेखक कांस्टेबल मुंशी छोटेलाल यादव,
8.	पी०डब्लू०-8	विवेचक निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, थाना कैण्ट
9.	पी०डब्लू०-9	प्रारम्भिक विवेचक उ०नि०संजय कुमार, थाना कैण्ट
10.	पी०डब्लू-10	कृष्ण प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज हसनूमऊ कटरा, कैण्ट
11.	पी०डब्लू-11	डॉ०विजय हरी आर्य, (मृत्यु कालिक बयान के समय फिटनेस जारीकर्ता)

7. बचाव पक्ष द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से स्वयं को दोषमुक्त किये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः–

क्रम सं0	बचाव पक्ष साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1.	डी0 डब्लू0-1	मृतका की पुत्री कोमल प्रजापति

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तागण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया है एवं उन्हें साबित कराया गया हैः–

क्र. सं.	प्रदर्श सं0	प्रपत्र	साक्षी सं0 (साबितकर्ता)
1.	प्रदर्श क-1	तहरीर	पी०डब्लू 1 वादी शिव प्रसाद
2.	प्रदर्श क-2	शव विच्छेदन रिपोर्ट	पी०डब्लू 2 डॉ०विपिन कुमार वर्मा
3.	प्रदर्श क-3	मृत्यु कालिक बयान	पी०डब्लू 6 तहसीलदार विनीत कुमार
4.	प्रदर्श क-4	लिफाफा मृत्यु कालिक बयान	पी०डब्लू 6 तहसीलदार विनीत कुमार
5.	प्रदर्श क-5	चिक एफ.आई.आर	पी०डब्लू 7 कांस्टेबल छोटेलाल यादव
6.	प्रदर्श क-6	प्रति जी०डी०कायमी	पी०डब्लू 7 कांस्टेबल छोटेलाल यादव
7.	प्रदर्श क-7	गिरफ्तारी मेमों अभि०	पी०डब्लू 8 निरीक्षक राकेश कुमार सिंह
8.	प्रदर्श क-8	प्रति जी०डी०गिरफ्तारी	पी०डब्लू 8 निरीक्षक राकेश कुमार सिंह
9.	प्रदर्श क-9	आरोप पत्र	पी०डब्लू 8 निरीक्षक राकेश कुमार सिंह
10.	प्रदर्श क-10	नक्शा नजरी घटनास्थल	पी०डब्लू 9 उ०नि०संजय कुमार

11.	प्रदर्श क-11	प्रति जी०डी०बरामदगी प्लास्टिक की पिपिया	पी०डब्लू 9 उ०नि०संजय कुमार
12.	प्रदर्श क-12	फर्द बरामदगी जले हुए कपड़े व प्लास्टिक की पिपिया	पी०डब्लू 9 उ०नि०संजय कुमार
13.	प्रदर्श क-13	पंचनामा	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह
14.	प्रदर्श क-14	चिट्ठी सी०एम०ओ०	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह
15.	प्रदर्श क-15	फोटोनाश	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह
16.	प्रदर्श क-16	मृत्यु की सूचना/मेमों	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह
17.	प्रदर्श क-17	कार्बन प्रति जी० डी० मृत्यु सूचना	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह
18.	प्रदर्श क-18	नमूना मुहर	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह
19.	प्रदर्श क-19	चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह
20.	प्रदर्श क-20	पुलिस फार्म सं 13	पी०डब्लू 10 उ०नि०कृष्ण प्रताप सिंह

9. **पी०डब्लू 1 शिव प्रसाद,** जो मृतका अनीता का भाई और वादी मुकदमा है, ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि मृतका अनीता उसकी बड़ी बहन थी। उसकी शादी शिव कुमार पुत्र रतिपाल के साथ हुई थी। मेरे जीजा की मृत्यु 2013 में हो चुकी है। मेरी बहन अनीता के 5 बच्चें हैं। वह पांचों बच्चों के साथ रहती है। मेरे जीजा मरने से पहले जमीन घर के बगल में खरीदे थे, जहां पर मेरी बहन की सरकारी कॉलोनी पास हुई थी। राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, जो अनीता के जेठ हैं, राजेन्द्र कुमार एवं राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा के लड़के शेरू सभी लोग मेरी बहन को जमीन हथियाने के बाबत परेशान करते है, मैं जब जाता था तब–तब मेरी बहन मुझे बताती थी। दिनांक 02.10.2016 को जिस जगह पर कालोनी बनवाने को लेकर बात हुई थी, उस जगह को मेरी बहन साफ कर रही थी। यह समय दोपहर का था, जब मेरी बहन साफ कर रही थी। मेरे पास फोन करीब 02.15 पर आया था। मेरी भांजी ने बताया कि मेरे बड़े पापा राजकुमार, राजेन्द्र कुमार व शेरू ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। मैं अपने घर से भाग कर फैजाबाद अस्पताल आया। उस समय मेरी बहन अस्पताल में जिंदा थी तथा **मैंने घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दोनों जेठ व शेरू ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। तीनों ने मिट्टी का तेल डाला था**। मैं रात में अस्पताल में रुका था तथा दवा–इलाज करा रहा था। दूसरे दिन मैंने अस्पताल में एक तहरीर लिखी एवं उस पर हस्ताक्षर करके थाना कैण्ट में दिया था। मैंने मुकदमा लिखवाया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में प्रमाणित किया। मेरी बहन की मृत्यु दिनांक 07.10.2016 को अस्पताल में इलाज के दौरान हो गयी थी। दरोगा जी ने पूछताछ किया था। मैंने घटनास्थल दिखाया था। मौके पर दरोगा जी जले हुए कपड़े व प्लास्टिक की एक पिपिया बरामद की थी तथा लिखा–पढ़ी की थी। उस पर मेरा हस्ताक्षर कराया था। मेरी बहन के मरने के पहले कई अधिकारी आए थे, बयान लिया था। पंचनामा मर्चरी हाउस पर हुआ था। मैं वहां

उपस्थित था।

10. **पी०डब्लू 2 डॉ० विपिन कुमार वर्मा** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 08.10.2016 को वह जिला अस्पताल फैजाबाद मैं तैनात थे। उस दिन मृतक अनीता को कां० अवधेश यादव व हे०कां०अंजू चौहान, उनके समक्ष पोस्टमार्टम हेतु लाये थे। शव की पहचान मृतका के भाई शिव प्रसाद ने की थी। साक्षी ने पोस्टमार्टम 3.30 P.M पर प्रारंभ कर 4.00 P.M पर समाप्त किया और शव 2.40 P.M पर प्राप्त किया था। मृतका दिनांक 02.10.2016 को समय सायं 3.15 बजे से जिला अस्पताल में भर्ती थी। जिसकी चिकित्सालय में ही दिनांक 07-10-2016 को समय 1.35 P.M पर मृत्यु हुई थी। शव की ऊंचाई 142 सेमी० मध्यम औसत कदकाठी की थी। शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन (Rigor Mortim) शरीर में अकड़न मौजूद थी। आंख और मुंह बंद थे।

मृत्यु पूर्व बाह्य चोटें (Anti Mortim injuries)

(1) Super फोरसेमब व डाय वर्न इंजरी पूरे शरीर पर, केवल कुछ भाग को छोड़कर लेफ्ट (बांया पैर) बाया जांघ पैर और दाहिने पैर का कुछ भाग दाहिना पैर और सिर।

(2) Vigo दाहिने पैर में लगा हुआ था।

(3) लाइन आफ रेटुनेस कुछ भाग में उपस्थित थे।

(4) Granulation Tissues कुछ भाग में उपस्थित था।

(5) लगभग 75 प्रतिशत जली हुई थी।

शव का आंतरिक परीक्षण-

मस्तिष्क व खिल्लियाँ कंजेस्टेड थीं, दांत 15/8 थे। सांस नली में झाग मौजूद थे। दोनों तरफ के फेफड़ों को काटने पर उनमें मवाद की थैलियां उपस्थित थी, हृदय का दाहिना चेम्बर फुल था, बायां खाली था। **उदरः**-अमाश्य में लगभग 50 M.L द्रव था। छोटी आंत में पेस्टी मटेरियल व गैस मौजूद थीं। बड़ी आंत में फ़ीकल मैटर व गैस थी। यकृत (लीवर) कंजेस्टेड था और पीताशय व गुर्दे कंजेस्टेड थे। मूत्राशय खाली था। पेशाब की नली लगी हुई थी। गर्भाशय (Non Groved) था।

मृत्यु का कारणः- सैप्टिसीमिया शॉक व एन्टी मार्टम बर्न के कारण हुई थी। मृतका के पोस्टमार्टम के बाद समस्त कपड़े व मटेरियल कां० को दे दिया गया था। साक्षी ने अपने साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को **प्रदर्श क-2** के रूप में प्रमाणित किया है।

11. बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू 2 डॉ० विपिन कुमार वर्मा से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर भी साक्षी ने मृत्यु का कारण सैप्टिसीमिया के कारण होना बताया तथा मृतका के शरीर पर बर्न के अलावा अन्य कोई चोट होने से इंकार किया।

12. **पी०डब्लू 3 लल्लू** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह मृतका अनीता को घटना के पहले से जानता था। अनीता का मायका कृष्णा नगर जिला सुल्तानपुर में है। अनीता के भाई का नाम शिव प्रसाद है। हम और शिव प्रसाद सजातीय हैं व एक दूसरे के यहां आते

जाते रहते थे। मेरे घर से शिव प्रसाद का घर लगभग डेढ़ किलोमीटर पर है। अनीता की शादी फैजाबाद में हुई थी। जगह का नाम बढ़ई कुफ है, फिर कहा बढ़ई का पुरवा है। लगभग दो साल हो गए हैं, शिव प्रसाद ने मुझे फोन करके अनीता के मरने की सूचना दिया था। मैं अपनी दुकान बंद करके रात में ही अनीता की माता को लेकर फैजाबाद अस्पताल पहुंचा। उस दिन 2 अक्टूबर था। जब हम पहुंचे तो अनीता की हालत अस्पताल में खराब थी, 70 प्रतिशत लगभग जली हुई थी। हम दोनों को देखकर रोने लगी। बताया की पप्पू बाबा, राजेन्द्र और शेरू ने हमको जलाया है, मैं अस्पताल से उस दिन वापस सुल्तानपुर चला गया था। अस्पताल में अनीता के दोनों भाई मौजूद थे। 7 तारीख को जब मैं सुल्तानपुर में था, तब मुझे अनीता के मरने की सूचना मिली। मैं 8 तारीख को सुबह अस्पताल फैजाबाद पहुंचा। अनीता की लाश का पंचनामा दरोगा जी ने मेरे सामने किया था। पंचनामे पर मैंने भी दस्तखत किया था। गवाह में पत्रावली में संलग्न कागज सं०-10 अ/1 के पृष्ठ भाग पर अपने हस्ताक्षर को देखकर बताया कि यह मेरा हस्ताक्षर है। लाश के पंचनामे के समय ही यह हस्ताक्षर मैंने किया था। पंचनामे के बाद लाश पोस्टमार्टम हेतु भेजी गयी थी।

13. **पी०डब्ल्यू 4 राम प्रसाद उर्फ गया प्रसाद** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दो भाई व एक बहन हैं। भाई का नाम शिव प्रसाद है जो कि छोटे हैं। बहन का नाम अनीता है, जो इस मुकदमें की मृतका हैं। मेरी बहन की शादी शिव कुमार निवासी शहादतगंज बढ़ई का पुरवा के साथ हुई थी। शिव कुमार की मृत्यु सन् 2013 में ही हो गई थी। शिव कुमार अपने घर के बगल जमीन खरीदे थे, मेरी बहन अनीता घटना से पहले उस जमीन पर घर बनवाना चाह रही थी। कालोनी पास हुई थी। अभियुक्तगण को उक्त जमीन के संबंध में रंजिश थी। **मेरे छोटे भाई शिव प्रसाद को अनीता की पुत्री कोमल ने 02.15 बजे के लगभग टेलीफोन से सूचना दिया कि "मामा", मम्मी को राज कुमार उर्फ पप्पू बाबा, राजेन्द्र व शेरू इन तीनों ने मम्मी को मारा पीटा तथा मिट्टी का तेल डाल कर जला दिये। मेरी मम्मी की हालत गंभीर है, मैं जिला अस्पताल लेकर चल रही हूं, आप लोग आइये**। इस सूचना पर मैं बस द्वारा 5.30 बजे के लगभग जिला अस्पताल फैजाबाद आ गया। मेरे साथ मेरा छोटा भाई शिव प्रसाद व गांव का पड़ौसी रोहन साथ आये थे। जब मेरी बहन जिला अस्पताल में भर्ती थी, उसका दवा इलाज चल रहा था, लगभग 7–7.30 बजे मैं अपनी बहन से मिलने गया। मेरी बहन ने बोलकर कहा कि **"राज कुमार उर्फ पप्पू बाबा, राजेन्द्र व शेरू ये तीनों लोग जमीन हथियाने के लिए मेरे ऊपर मारा–पीटा व मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।"** मेरी बहन के बयान हेतु रात्रि में पुलिस वाले अधिकारी आये थे सबको बाहर करके पूछताछ किये थे। मेरी बहन अनीता की मृत्यु जिला अस्पताल फैजाबाद में दिनांक 07.10.2016 को रात्रि में 9–9.30 बजे के लगभग दौरान इलाज हो गयी थी। मेरे सामने मेरी बहन का शव का पंचनामा दरोगा जी द्वारा भरा गया था। दरोगा जी ने जब पंचनामा भरा गया, उसे पढ़कर सुनाये, तब मैंने अपना हस्ताक्षर बनाया था।

साक्षी ने पंचनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। अनीता की मृत्यु के बाद उनके बच्चे मेरे साथ हैं। उनके नाम आंचल, अंजली, प्रतिक्षा, सूरज तथा कोमल मिला लिय है। मेरी बहन को मारने के बाद घर व जमीन का पांचों बच्चों के ऊपर मुकदमा कर दिये है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

14. **पी०डब्ल्यू 5 निरीक्षक राजीव सिंह** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि मैं दिनांक 03.10.2016 को थाना कैण्ट में था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 336/2016 कायम होकर मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक संजय कुमार यादव द्वारा की गयी थी। दिनांक 09.10.2016 को धारा 302 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी होने पर विवेचना मैंने स्वयं 09.10.2016 को ग्रहण की थी। दौरान विवेचना पूर्व किता पर्चों का अवलोकन किया तथा वादी शिव प्रसाद, कोमल का मजीद बयान अंकित किया। अभियुक्त राजकुमार व राजेन्द्र की गिरफ्तारी जिंगल वेल स्कूल के आगे रेलवे फाटक के पास से किया था तथा उसी समय अभियुक्तगण के बयान अंकित किये। अनीता का मृत्यु कालीन बयान का न्यायालय की अनुमति से अवलोकन किया। तत्पश्चात मेरा स्थानांतरण थाना पूराकलंदर में हो जाने के कारण विवेचना इंस्पेक्टर राकेश कुमार द्वारा की गयी थी।

15. **पी०डब्ल्यू 6 विनीत कुमार** तत्कालीन नायब तहसील सदर फैजाबाद ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 02.10.2016 को उक्त पद पर कार्यरत थे। उस दिन समय लगभग 11.05 बजे रात में ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर फैजाबाद द्वारा फोन से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में, मैं जिला अस्पताल फैजाबाद मज़रूबा श्रीमती अनीता पत्नी स्व० शिवकुमार उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी बढ़ई का पुरवा थाना कैण्ट जनपद फैजाबाद का बयान अंकित करने जिला चिकित्सालय फैजाबाद में पहुंच कर तत्समय आकस्मिक चिकित्साधिकारी से मिलकर मज़रूबा का पता व पहचान तथा बयान देने के संबंध में आपकी सक्षमता के संबंध में आवश्यक प्रमाण देने हेतु अनुरोध किया। जिसके पश्चात उक्त आकस्मिक चिकित्साधिकारी द्वारा वर्न वार्ड में भर्ती मरीज श्रीमती अनीता के पास पहुंच कर यह बताते हुए कि यहीं मज़रूबा अनीता पत्नी स्व० शिव कुमार है, जिसका बयान अंकित किया जाना है। इसके बाद उक्त आकस्मिक चिकित्साधिकारी के द्वारा मज़रूबा का चिकित्सीय परीक्षण करते हुए एक कागज पर सबसे ऊपर (PT. Conscious Fit for Statement) लिखने के पश्चात अपना हस्ताक्षर व दिनांक 02.10.2016, 11.24 P.M अंकित करते हुए ई०एम०ओ० जिला चिकित्सालय फैजाबाद की मोहर अंकित की। उस समय उस वर्न वार्ड में मज़रूबा अनीता, आकस्मिक चिकित्साधिकारी तथा मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। आकस्मिक चिकित्साधिकारी ने मुझे उक्त फिटनेस प्रमाण पत्र देते हुए वार्ड कक्ष से बाहर चले गये। इसके बाद मेरे द्वारा मज़रूबा अनीता का बयान समय 11.25 P.M पर लेना प्रारंभ किया गया, जिसे मैंने मज़रूबा अनीता का दाहिना अंगूठा जला होने के कारण उसका बायां अंगूठा लगवा कर प्रमाणित किया और प्रश्नोत्तर शैली में बयान लेना प्रारंभ

किया। मैंने मज़रूबा का नाम, उसके पति का नाम, उसकी उम्र, उसकी शादी को कितने साल हुए हैं। जैसे प्रश्न पूछे जिसका उसने समुचित उत्तर दिया। अंत में मैंने मज़रूबा से घटना कैसे घटी पूछा तो उसने बताया "लोहिया आवास आया था। पप्पू प्रजापति (जेठ) राजेन्द्र प्रजापति (जेठ) व शेरू पुत्र पप्पू प्रजापति ने कहा कालोनी नहीं बनने देंगे। इस बात को लेकर विवाद हो गया। विनोद सभासद बाबा गोरखनाथ, खन्नू इसके पिता का नाम मालूम नहीं है, मौके पर सब इकट्ठा थे। कागज दिखाने के बात मेरे द्वारा कही गयी। उनके द्वारा कागज नहीं दिखाया गया। विनोद सभासद, बाबा गोरखनाथ व खन्नू सभी लोग चले गये। उपरोक्त बातें बृहस्पतिवार की है। आज 01.30–2.00 दोपहर मेरे द्वारा सफाई (जमीन) की शुरू करने पर, पप्पू प्रजापति ,राजेन्द्र प्रजापति व शेरू मेरी सास शिवकला मौके पर आकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ने पर राजेन्द्र प्रजापति ने कहा फूंक देंगे, तुम मर जाओगी। राजेन्द्र प्रजापति द्वारा घर के अंदर से प्लास्टिक की पिपिया में तेल (मिट्टी का) लेकर आये, राजेन्द्र प्रजापति ने तेल डाल दिया और माचिस से आग लगा दिये। मैंने भागने का प्रयास किया। राजेन्द्र जबरदस्ती पकड़ कर आग लगा दिये। मैं छुड़ा कर भागी, मोहल्ले के लोग आ गये। जान नहीं पाये। मोहल्ले के लोग कथड़ी आदि डालकर बुझाए। पप्पू प्रजापति व शेरू ने मारपीट की थी। इसके बाद मैंने मज़रूबा से पूछा कि उसे कुछ और बयान देना है तो उसने कहा कि नहीं।"

16. **पी०डब्ल्यू 6 विनीत कुमार** ने यह भी साक्ष्य दिया है कि इस प्रकार समय 11.25 P.M पर बयान प्रारंभ करते हुए समय 11.50 P.M पर मज़रूबा अनीता का बयान पूर्ण किया। बयान पूर्ण करने के पश्चात तत्समय बाहर उपस्थित आकस्मिक चिकित्साधिकारी को अंदर बुलाकर मज़रूबा अनीता का स्वास्थ्य एवं फिटनेस परीक्षण बयान के अंत में अंकित करने का अनुरोध किया। जिसके बाद आकस्मिक चिकित्साधिकारी ने अंदर आकर मज़रूबा का फिटनेस परीक्षण करके फिटनेस परीक्षण रिपोर्ट बयान के मार्जिन पर अंकित किया और अपना हस्ताक्षर किया और मोहर लगायी। इसके बाद आकस्मिक चिकित्साधिकारी के सामने मैंने मज़रूबा अनीता का दाहिना अंगूठा जला होने के कारण उसका बायां अंगूठा लगवा कर उसकी पहचान प्रमाणित किया। इसके बाद लिखे गये बयान को मैंने लिफाफे में रखकर सील करके सील सर्व मोहर कर दिया तथा लिफाफे पर मृत्यु कालिक बयान सेवा में मा० मु० न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद लिफाफे के बाएं ओर मज़रूबा श्रीमती अनीता पत्नी स्व० शिवकुमार उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी बढ़ई का पुरवा थाना कैण्ट फैजाबाद दिनांक–02.10.2016 समय रात 11.25 (रात) लिफाफे की दाहिनी ओर प्रेषक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार विनीत कुमार सदर तहसील फैजाबाद अपने लेख में अंकित किया। संलग्न पत्रावली कागज सं० 19 अ/1 मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार अंकित मज़रूबा अनीता का मृत्यु कालिक बयान है तथा कागज सं०–19 अ/2 मेरे द्वारा सील सर्व मोहर किया गया लिफाफा है, जिसमे कागज सं०–19 अ/1 सील किया गया था। इन दोनों को साक्षी

ने **प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4** के रूप में प्रमाणित किया है।

17. **पी०डब्ल्यू 7 आरक्षी छोटेलाल यादव** ने सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 03.10.2016 थाना कैण्ट जनपद फैजाबाद में बहैसियत कां० मुंशी थाने में कार्यलेख ड्यूटी पर नियुक्त था। उस दिन समय लगभग 17.25 बजे शिव प्रसाद की लिखित तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मु०अ०सं० 336/2016 पंजीकृत करके तहरीर को अक्षरशः बोल–बोल करके कंप्यूटर में फीड कराया और नकल चिक व नकल रपट अपने लेख में हस्ताक्षर में तैयार करके विवेचना हेतु विवेचनाधिकारी को दिया। साक्षी ने संलग्न पत्रावली कागज सं० 5अ/1 लगायत 5अ/2 नकल चिक को **प्रदर्श क–5** के रूप में तथा कागज सं० 6अ/1 नकल रपट को **प्रदर्श क–6** के रूप में प्रमाणित किया है।

18. **पी०डब्ल्यू 8 राकेश कुमार सिंह** ने सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 28.02.2016 को वह बतौर प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट जिला फैजाबाद में नियुक्त थे। उसी दिन मु०अ०सं० 336/2016 की विवेचना मुझे प्राप्त हुई। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात मैंने उसी दिन पूर्व किता किये गये पर्चा नं० 01 ता पर्चा नं० 8A का अवलोकन कर विवरण संलग्न केस डायरी किया। उपरोक्त मुकदमें में नामित अभियुक्त शेरू को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में गिरफ्तारी मेमो कागज सं० 13ब/11 को **प्रदर्श क–7** के रूप में तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की जी०डी० उसी दिन रपट सं० 24 समय 13.30 बजे किता करायी गयी, जो शामिल पत्रावली कागज सं० 13ब/10 को **प्रदर्श क–8** के रूप में प्रमाणित किया। मृतका का पंचनामा का अवलोकन किया तथा उसी दिन पंचनामा के गवाहों का बयान लिया। दिनांक 30.11.2016 को पर्चा नं० 14 किता किया गया, जिसमें अब तक की तमामी विवेचना व ग्राहय किये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, राजेन्द्र व शेरू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। साक्षी ने आरोप पत्र कागज सं० 4अ/1 ता 4अ/11 को **प्रदर्श क–9** के रूप में प्रमाणित किया।

19. पी०डब्ल्यू 9 उप निरीक्षक संजय कुमार ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 03.10.2016 को मैं थाना कैण्ट, जनपद फैजाबाद में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं० 336/2016 विवेचना प्राप्त हुई। उसी दिन मैंने नकल चिक एफ०आई०आर०, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक छोटे लाल यादव, बयान पीड़िता अनीता अंकित किया। अनीता पीड़िता ने बताया कि मेरे जेठ राजकुमार व राजेन्द्र तथा राजकुमार का लड़का शेरू मुझे परेशान करते हैं। मेरी जमीन में कालोनी नहीं बनवाने दे रहे हैं। मैं जमीन साफ कर रही थी तभी राजेन्द्र ने कहा कि तुमको फेंक देंगे। और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। तीनों लोग वहां मौजूद थे। किसी ने बचाया नहीं। पीड़िता अनीता की हालत काफी खराब लग रही है। इस कारण मृत्यु कालिक

बयान अंकित कराना आवश्यक है। दिनांक 04.10.2016 को बयान वादी शिव प्रसाद और घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण घटनास्थल नक्शा नजरी पत्रावली में कागज सं० 7 अ शामिल है, जिसे साक्षी ने **प्रदर्श क–10** के रूप में प्रमाणित किया। दिनांक 07.10.2016 को अभियुक्त राजकुमार के घर दविश दी गई, मिले नहीं। दिनांक 08.10.2016 को पीड़िता की पुत्री कोमल का बयान अंकित किया। कोमल ने बताया कि मेरी मां की इलाज के दौरान दिनांक 07.10.2016 की रात्रि में मृत्यु हो गयी। दिनांक 09.10.2016 मृतका अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन कर इन्द्राज सी०डी० किया। मृत्यु का कारण वर्न इंजरी Anti Mortam है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के आधार पर धारा 302 की बढ़ोत्तरी की गयी। अब विवेचना 302, 504 भा०द०सं० में होगी। उसी दिन शामिल पत्रावली कागज सं० 13 व/1 जी०डी० वापसी में फर्द बरामदगी किया। जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। फर्द कब्जा पुलिस जले हुए कपड़े मृतका अनीता एक अदद पिपिया प्लास्टिक खाली बरामद घटनास्थल, गवाह शिव प्रसाद व कोमल के हस्ताक्षर कराये। इन्हीं के सामने बरामद किया गया। फर्द शामिल पत्रावली कागज सं० 8 अ/1 को साक्षी ने **प्रदर्श क–12** के रूप में प्रमाणित किया है। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अनुमति से बरामद माल जो एक कपड़े के झोले में सील मोहर है जिसके ऊपर एक पुलिंदा सील सर्व मोहर मृतका अनीता संबंधित मु०अ०सं० 336/2016 धारा 302, 504 भा०द०सं० से जले हुए कपड़े मय एक पिपिया प्लास्टिक हरे स्याही से लिखा है, को न्यायालय की अनुमति से खोला गया। जिसमें एक प्लास्टिक की पिपिया जो हरे रंग की है, गवाह ने पिपिया दिखाकर कहा यही वह पिपिया है, जिसे साक्षी ने **वस्तु प्रदर्श –1** के रूप में प्रमाणित किया। पन्नी के अंदर जले हुए कपड़े और राख काली पन्नी में निकले। जिन्हें साक्षी ने **वस्तु प्रदर्श–2** के रूप में प्रमाणित किया।

20. **पी०डब्लू 10 उप०निरीक्षक कृष्ण प्रताप सिंह** तत्कालीन चौकी इंचार्ज हसनूमऊ कटरा, थाना कैण्ट, जनपद अयोध्या ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 08.10.2016 को उक्त पद पर कार्यरत थे। उसी दिन जिला चिकित्सालय अयोध्या के वार्ड बॉय द्वारा मृतका अनीता के मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर साक्षी कास्टेबल अवधेश कुमार मय जिल्द पंचनामा व अन्य दीगर कागजात व महिला कांस्टेबल के साथ मर्चरी हाउस जिला अस्पताल फैजाबाद पहुँचा। पंचान नियुक्त कर पंचनामा की कार्यवाही समय 13.25 बजे प्रारम्भ कर 14.15 बजे समाप्त की गई। दौरान पंचनामा कार्वयाही साक्षी ने मृतका के शव की दशा, पहनावा, चोट व हुलिया का विवरण अंकित कर पंचों की राय ली। पंचनामा साक्षी द्वारा मौके पर लिख–पढ़कर व सुनाकर मृतका के शव को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मुहर कर सम्बन्धित कास्टेबल को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पी.एम कराने हेतु सुपुर्द किया गया। साक्षी ने अपने साक्ष्य में पंचनामा को **प्रदर्श क–13** के रूप में प्रमाणित किया तथा पंचनामा से संबंधित दीगर प्रपत्रों चिट्ठी

सी०एम०ओ०, फोटोनाश, मृत्यु की सूचना/मेमों, कार्बन प्रति जी० डी० मृत्यु सूचना, नमूना मुहर, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक एवं पुलिस फार्म सं 13 को क्रमशः **प्रदर्श क–14** लगायत **प्रदर्श क–20** के रूप में प्रमाणित किया गया।

21. **पी०डब्लू 11 डॉ० विजय हरी आर्य** ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 02 अक्टूबर 2016 को बतौर चिकित्साधिकारी जिला अस्पताल अयोध्या में कार्यरत था। उस दिन रात्रि 11.24 पी.एम पर नायब तहसीलदार विनीत कुमार तहसील सदर जिला अयोध्या मजरूबा अनीता पत्नी स्व० शिव कुमार जो कि जिला चिकित्सालय अयोध्या में बर्न वार्ड में भर्ती थीं, जिसका इलाज चल रहा था, का मृत्यु पूर्व बयान अंकित करने हेतु आये थे। मैंने मजरूबा अनीता का 11.24 पी.एम पर मृत्यु पूर्व बयान देने में समर्थ है या नहीं, इस संबंध में मैंने मजरूबा से बात करके उसकी हालत व स्थिति देखा था। मजरूबा अनीता मृत्यु पूर्व बयान देने हेतु पूर्णतया सक्षम थी। पूरे होश हवास में थी। वह अच्छा बुरा समझ रही थी और पूंछने पर उत्तर देती थी। मैंने मजरूबा की स्थिति को देखते हुए मृत्यु पूर्व बयान लेने की अनुमति नायब तहसीलदार विनीत कुमार को दी थी। जिसका अंकन मैंने मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श क–3 पर किया है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। मृत्यु पूर्व बयान अंकित होने के पश्चात मैंने मजरूबा से बातचीत हाल चाल व स्वास्थ्य का परीक्षण किया था। मजरूबा पूरे होश हवास में थी और पूंछने पर सब कुछ बता रही थी। जिसके आधार पर मैंने मृत्यु पूर्व बयान (प्रदर्श क–3) बयान अंकित करने के पश्चात मजरूबा बयान देने की स्थिति में थी, का अंकन किया था। समय 11.50 पी.एम था। अंकन मेरे हस्ताक्षर में व हस्तलेख में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ।

22. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तागण **1.राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, 2.राजेन्द्र कुमार एवं 3.शेरू** का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तागण द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 में प्र 0 सं0-1 के उत्तर में कथन किया गया कि-**गलत है।** प्र०सं० 2 & 4 के उत्तर में **झूठा बयान** देने का कथन किया। प्र०सं० 3 के उत्तर में कथन किया कि **मालूम नहीं**। प्र०सं० 5 के उत्तर में कथन किया कि **शिव प्रसाद के सगे भाई हैं। झूठा बयान दिया**। प्र०सं० 6,7, 8 के उत्तर में कथन किया कि **मालूम नहीं, फर्जी बयान अंकित किया**। प्र०सं० 9 के उत्तर में कथन किया कि बिना निष्पक्ष विवेचना किये आरोप पत्र प्रेषित किया। प्र०सं० 10 के उत्तर में कथन किया है कि **मुकदमें को तरतीब देने के लिए फर्जी फर्दे व कागजात बनाये**। प्र०सं० 11 के उत्तर में **दुश्मनी के कारण** मुकदमा चलना बताया। प्र०सं० 12 के उत्तर में बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना कहा और प्र०सं० 13 के उत्तर में कथन किया कि **मैं निर्दोष हूँ। मृतका की मृत्यु उसके घर के भीतरी तनाव से हुई। मैं लिखित कथन दाखिल करूंगा**।

23. न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2025 को अभियुक्तागण **1.राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, 2.राजेन्द्र कुमार एवं 3.शेरू** का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया। जिसमें प्र०सं० 1 के उत्तर में कथन किया गया कि **मालूम नहीं**। प्र०सं० 2 के उत्तर में कथन किया गया कि **अनीता मृतका बेहोश थी। बयान देने की स्थिति में नहीं थी**। प्र०सं० 3 के उत्तर में कथन किया गया है कि **चिकित्सक ने गलत प्रमाण पत्र दिया**।

24. बचाव पक्ष ने **डी०डब्लू-1** के रूप में साक्षी **कोमल,** जो कि मृतका अनीता की पुत्री है, को परीक्षित कराया गया है। जिसने सशपथ बयान दिया है कि मैं बी.ए कर चुकी हूँ। सबसे बड़ी मैं, मुझसे छोटी दो बहने आंचल व विट्टों, उनसे छोटी बहन लल्ला और सबसे छोटा भाई सूरज हैं। मेरे पिता और उनके भाइयों में बंटवारा हो चुका था। मेरा मकान पश्चिम है और मेरे बड़े चाचा राजकुमार प्रजापति का मकान मेरे मकान के पूर्व है। राजेन्द्र चाचा का मकान भी मेरे मकान के पूरब है। मेरे घर का निकास दक्खिन ओर है। मेरे बड़े चाचा राजकुमार व राजेन्द्र का निकास पश्चिम ओर है। मेरा रिहायशी गर बड़ा है। मेरे घर के दक्खिन जमीन पर काफी खरपतवार हो गये है। हल्की ठण्डक का दिन था। मेरी माँ दिनांक 02.10.2016 को दिन में लगभग 2 बजे घर के बाहर साफ सफाई व घर गृहस्थी का काम कर रही थीं। पहले से ही दरवाजे के सामने काफी खरपतवार इकट्ठा था। मेरी मां ने कूड़ा व खरपतवार जलाने के लिए आग जला रखी थी। मैं घर के भीतर रसोई में थी। मैंने अपनी मां की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज रसोई में सुना। मैं घर से बाहर आयी तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर मोहल्ले के चार-छः लोग मौजूद है। मेरी मां के कपड़ों में आग लगी हुई थी। मोहल्ले वाले आग बुझा रहे थे। मैंने भी आग बुझाई। मेरी मां काफी जल गई थी। थोड़ी ही देर में घर पर ही मेरी मां बेहोश हो गई। मैंने मोहल्ले वालों से फोन करके एम्बुलेंस बुलाने को कहा। थोड़ी देर में ही सरकारी एम्बुलेंस आ गयी। मैं अपनी मां को फौरन जिला अस्पताल ले आई। मेरी मां की सांस तेज चल रही थी। वह बेहोंश थी। मैं अपनी मां को लेकर जिला अस्पताल फैजाबाद लगभग साढ़े तीन बजे दिन में पहुँची थी। मैं अपनी मां के साथ जिला अस्पताल में बराबर थी। मैंने अपनी मां की जलने की सूचना अपने मामा शिव प्रसाद जी को सुल्तानपुर दिया था। मामा व अन्य लोग सुल्तानपुर से शाम को लगभग 6 बजे जिला अस्पताल आ गये थे। मैं जब घर से बाहर अपने मां की आवाज सुनकर बाहर निकली उस समय मेरे बड़े पापा राजकुमार व उनके बड़े लड़के शेरू नहीं थे। मेरी चाची व घर के अन्य बच्चे गुहार सुनकर बाहर आ गये थे। घर के सभी सदस्यों ने मेरी मां की व मेरी सहायता किया। थोड़ी ही देर बाद सूचना पाकर मेरे बड़े चाचा राज कुमार प्रजापति भी आ गये थे। मेरे चाचा राजकुमार अपने बड़े बेटे शेरू के साथ एम्बुलेंस के पीछे मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल आये। जिला अस्पताल में मेरे चाचा राजकुमार व उनके बेटे शेरू से मेरे मामा शिव कुमार की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। मैं अस्पताल में ही लगातार थी। मेरी मां बेहोश ही थी। उसे अस्पताल में पूरी तरह कभी होश नहीं आया।

25. मैंने राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अयोध्या तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया।

26. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अयोध्या द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका एवं अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं। मृतका के पति की मृत्यु वर्ष 2013 में हो चुकी थी। मृतका अपने पांच बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहती थी। मृतका के पति ने अपने जीवनकाल में रिहायस हेतु जमीन खरीदी थी, डूडा (सरकारी संस्था) द्वारा मृतका को कॉलोनी (आवास) दिया गया था, उक्त आवास को अनीता बनवाना चाहती थी, किन्तु अभियुक्तगण लगातार विरोध कर रहे थे। घटना के दो तीन दिन पूर्व भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दिया था। घटना का हेतुक साबित है। जिला चिकित्सालय में दौरान अनीता की मृत्यु हुई है। मृत्यु पूर्व घटना की तिथि को ही अनीता का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया है। अभियुक्तगण ने अनीता को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया है। मिट्टी के तेल की पिपिया विवेचक ने बरामद कर उसकी फर्द मौके पर तैयार की गई है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा जघन्य अपराध कारित किया जाना साबित होता है। अतः अभियुक्तगण को प्रकरण में दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

27. बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नियोजित तरीके से घटना के अलगे दिन दर्ज कराई गई है। मृतका की मृत्यु उपरान्त पिपिया पाया जाना, पूर्वनियोजित था। मृतका के शरीर का अधिकांश भाग जला था अर्थात मृतका 75 प्रतिशत जली थी, ऐसी अवस्था में वह बोलने की अवस्था में नहीं थी, ऐसी स्थिति में मृत्यु कालिक बयान दर्ज नहीं किया जा सकता। मृत्यु कालिक बयान के समय फिटनेस प्रमाण पत्र गलत है, पूर्व नियोजित है। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि यह मृतक द्वारा स्वेच्छा से दिया गया बयान था और उन्होंने उसे बयान पढ़कर सुनाया था। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर डॉक्टर का भी हस्ताक्षर नहीं था। अभियुक्तगण घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थे। घटना होते हुए किसी भी अभियोजन साक्षी ने नहीं देखी है। अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की गई है, न ही किसी को भद्दी-भद्दी गालियां देकर अपमानित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो सके। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

28. बचाव पक्ष द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की हैं-

(I) अब्दुल रज्जाक एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा एस०एच०ओ०थाना हूती 2015CRI.L.J.2897(सुप्रीम कोर्ट)

(II) जोशप बनाम केरल राज्य, 2003 SCC(Cri) 356

(III) द्वारका एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बैंच) दाण्डिक अपील सं 413/1980 निर्णय मार्च 18, 1999

(IV) छुटकऊ बनाम उ०प्र०राज्य 2022 CRI.L.J.4579 AIROnline 2022 SC 337 (सुप्रीम कोर्ट)

(VI) थानेदार सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य[2002(1)JIC 68(SC)]

29. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण **1.राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, 2.राजेन्द्र कुमार एवं 3.शेरू** पर दिनांक 02.10.2016 को बहद स्थान मोहल्ला सहादतगंज स्थित बढ़ई का पुरवा, थाना कैण्ट जिला अयोध्या/फैजाबाद में एक राय होकर अनीता को जमीन पर मकान न बनाने देने के विवाद को लेकर घटना के दिन अनीता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसकी हत्या करने और गालियां देकर अपमानित करने का आरोप है? इस न्यायालय को पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 02.10.2016 को अनीता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसकी हत्या कारित की है और क्या अभियुक्तगण द्वारा अनीता व उसके परिवार को लोक शांति भंग कराने हेतु उसे प्रकोपित करने के आशय से गाली गुप्ता देकर साशय अपमानित किया गया।

30. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए कुल 11 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। जिनमें तथ्य के कुल 03 साक्षीगण पी०डब्लू 1 वादी शिव प्रसाद, जो मृतका अनीता का भाई है, पी०डब्लू 3 लल्लू एवं पी०डब्लू 4 राम प्रसाद उर्फ गया प्रसाद, जो मृतका का भाई है, को परीक्षित कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 02.10.2016 की है और अभियुक्तगण पर श्रीमती अनीता को मिट्टी का तेल डालकर जलाये जाने का आरोप है। पत्रावली पर जो साक्ष्य आया है, उससे यह स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी ने प्रत्यक्ष रूप से घटना कारित होते देखे जाना नहीं कहा है। चूंकि घटना दिनांक 02.10.2016 की है और उसी दिन लगभग साढ़े तीन बड़े मृतका की पुत्री कोमल जली हुई हालत में एम्बुलेंस के माध्यम से अपनी माता को चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल फैजाबाद लेकर गई है और दौरान इलाज डेथ मेमों प्रदर्श क 16 के अनुसार जिला अस्पताल में अनीता की मृत्यु दिनांक 07.10.2016 को समय 09.35 पी.एम पर हुई है। इस बीच पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य प्रदर्श क-3 के अनुसार दिनांक 02.10.2016 को ही समय 11.24 पी.एम पर अनीता का मृत्यु कालिक बयान पी०डब्लू 6 तहसीलदार विनीत कुमार द्वारा अंकित किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण मुख्य रूप से घटना वाले दिन अनीता द्वारा दर्ज कराये गये मृत्यु कालिक बयान पर आधारित

है।

31. बचाव पक्ष की ओर से मृत्यु कालिक बयान के संबंध में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि यदि मृतका 75 प्रतिशत जली है और उसके शरीर का अधिकांश भाग जला है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु कालिक बयान दर्ज नहीं किया जा सकता। अभियोजन साक्ष्य आया है, अनीता द्वारा दिये गये मृत्यु कालिक बयान से भिन्न है। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि यह मृतक द्वारा स्वेच्छा से दिया गया बयान था और उन्होंने उसे बयान पढ़कर सुनाया था। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर डॉक्टर का भी हस्ताक्षर नहीं था।

32. **पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2017(4) सुप्रीम कोर्ट पेज 533** में माननीय न्यायालय में मृत्यु पूर्व बयान की स्वीकार्यता के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं–

1. मृत्यु पूर्व दिया गया बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, यदि इससे न्यायालय को पूर्ण विश्वास प्राप्त हो।
2. न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि बयान देते समय मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी और यह किसी प्रशिक्षण, प्रेरणा या कल्पना का परिणाम नहीं थी।
3. जहाँ न्यायालय संतुष्ट हो कि घोषणा सत्य व स्वेच्छिक है, वह बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के सजा को आधार बना सकता है।
4. कानून का एक यह पूर्ण नियम नहीं माना जा सकता कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाये। पुष्टि की आवश्यकता वाला नियम केवल विवेक का नियम है।
5. जहाँ मृत्यु पूर्व दिया गया कथन संदिग्ध हो वहां पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना उस पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।
6. मृत्यु पूर्व दिया गया कथन जिस पर मृतक अशक्ता से ग्रस्त हो, जैसे की वह अचेत था और कभी कोई बयान नहीं दे सकता था, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।
7. केवल इसलिए कि मृत्यु पूर्व कथन में घटना के बारे में सभी विवरण नहीं हैं, उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
8. भले ही यह संक्षिप्त वक्तव्य हो, इसे नकारना नहीं चाहिए।
9. जब प्रत्यक्षदर्शी यह पुष्ट करता है कि मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में नहीं था तो चिकित्सीय राय मान्य नहीं हो सकती।
10. यदि सावधानी पूर्व जांच के बाद न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि यह सत्य है और मृतक को झूठा बयान देने के लिए प्रेरित करने के किसी भी प्रयास से मुक्त है और यदि यह सुसंगत और सुसंगत है तो इसे दोषसिद्धि का आधार बनाने

में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी भले ही पुष्टि न हो।

33. इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा भी मृत्यु कालिक बयान के संबंध में विधि व्यवस्था **सुरेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य [2012(1)JIC 409(SC)]** प्रस्तुत की गई है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि जहां अभियोजन पक्ष का बयान मृत्यु पूर्व दिये गए बयान से भिन्न हो, वहां उक्त बयान पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **कृष्णा चन्द बनाम उ०प्र०राज्य 1996 CRI.L.J.1507(सुप्रीम कोर्ट)** प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया गया है कि- *मजिस्ट्रेट को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मरणासन्न व्यक्ति सामान्य समझ के साथ सचेत और स्वेच्छा से बयान दे रहा था। बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह बयान देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में प्रश्न पूंछे। यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी को जिरह के माध्यम से बयान की सत्यता की जांच करने का कोई अवसर नहीं मिलता और वे इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इस परिस्थितियों में, बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट का यह गंभीर कर्तव्य है कि वह बयान देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए सभी सावधानियां बरतें। लेकिन ऐसा न करने से बयान की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं होता, जब तक कि ऐसी परिस्थितियां न हों जो यह दर्शाती हों कि बयान विश्वसनीय नहीं है और यह स्वैच्छिक या सत्य नहीं है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह बयान की सावधानीपूर्वक जांच करे और यह पता लगाए कि वह सत्य और विश्वसनीय है या नहीं। चिकित्सक द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र जिसमें मृतक के मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने की बात कही गई है, यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने आप में निर्णायक नहीं है।*

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु कालिक बयान के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त मृत्यु कालिक बयान की प्रमाणिकता को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सक **पी०डब्लू 11 डॉ० हरि विजय आर्या** को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी यह कथन किया है कि घटना वाले दिन रात्रि 11.24 पी.एम पर नायब तहसीलदार विनीत कुमार तहसील सदर जिला अयोध्या मजरूबा अनीता जो कि जिला चिकित्सालय अयोध्या में बर्न वार्ड में भर्ती थीं, जिसका इलाज चल रहा था, का मृत्यु पूर्व बयान अंकित करने हेतु आये थे। मैंने मजरूबा अनीता का 11.24 पी.एम पर मृत्यु पूर्व बयान देने में समर्थ है या नहीं, इस संबंध में मैंने मजरूबा से बात करके उसकी हालत व स्थिति देखा था। **मजरूबा अनीता मृत्यु पूर्व बयान देने हेतु पूर्णतया सक्षम थी। पूरे होश हवास में थी**। **वह अच्छा बुरा समझ रही थी और पूंछने पर उत्तर देती थी। मैंने मजरूबा की स्थिति को देखते हुए मृत्यु पूर्व बयान लेने की अनुमति नायब तहसीलदार विनीत कुमार को दी थी। जिसका अंकन मैंने मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श क–3 पर किया है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में**

है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। **मृत्यु पूर्व बयान अंकित होने के पश्चात मैंने मजरूबा से बातचीत हाल चाल व स्वास्थ्य का परीक्षण किया था। मजरूबा पूरे होश हवास में थी और पूंछने पर सब कुछ बता रही थी**।

35. इस साक्षी से की गई प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई विपरीत तथ्य मृतका के मृत्यु कालिक बयान देते समय फिटनेस के संबंध में नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अनीता मृत्यु कालिक बयान देने में सक्षम नहीं थी।

36. इसी क्रम में मृत्यु कालिक बयान की प्रमाणिकता को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा स्वयं मृत्यु कालिक बयान लेखक **पी०डब्लू 6 तहसीलदार विनीत कुमार** को परीक्षित कराया है, जिन्होंने यह साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 02.10.2016 को नायब तहसील सदर फैजाबाद के पद पर कार्यरत थे। उस दिन समय लगभग 11.05 बजे रात में ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर फैजाबाद द्वारा फोन से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में, उन्होंने श्रीमती अनीता का बयान अंकित करने के लिए तत्समय आकस्मिक चिकित्साधिकारी से मिलकर मज़रूबा का पता व पहचान तथा बयान देने के संबंध में आपकी सक्षमता के संबंध में आवश्यक प्रमाण देने हेतु अनुरोध किया। आकस्मिक चिकित्साधिकारी के द्वारा मज़रूबा का चिकित्सीय परीक्षण करते हुए एक कागज पर सबसे ऊपर (PT. Conscious Fit for Statement) लिखने के पश्चात अपना हस्ताक्षर व दिनांक 02.10.2016, 11.24 P.M अंकित करते हुए ई०एम०ओ० जिला चिकित्सालय फैजाबाद की मोहर अंकित की। उस समय उस वर्न वार्ड में मज़रूबा अनीता, आकस्मिक चिकित्साधिकारी तथा मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। आकस्मिक चिकित्साधिकारी ने मुझे उक्त फिटनेस प्रमाण पत्र देते हुए वार्ड कक्ष से बाहर चले गये। इसके बाद मेरे द्वारा मज़रूबा अनीता का बयान समय 11.25 P.M पर लेना प्रारंभ किया गया, जिसे मैंने मज़रूबा अनीता का दाहिना अंगूठा जला होने के कारण उसका बायां अंगूठा लगवा कर प्रमाणित किया और प्रश्नोत्तर शैली में बयान लेना प्रारंभ किया। मैंने मज़रूबा का नाम, उसके पति का नाम, उसकी उम्र, उसकी शादी को कितने साल हुए हैं। जैसे प्रश्न पूछे जिसका उसने समुचित उत्तर दिया। अंत में मैंने मज़रूबा से घटना कैसे घटी पूछा तो उसने बताया "लोहिया आवास आया था। पप्पू प्रजापति (जेठ) राजेन्द्र प्रजापति (जेठ) व शेरू पुत्र पप्पू प्रजापति ने कहा कालोनी नहीं बनने देंगे। इस बात को लेकर विवाद हो गया। विनोद सभासद बाबा गोरखनाथ, खन्नू इसके पिता का नाम मालूम नहीं है, मौके पर सब इकट्ठा थे। कागज दिखाने के बात मेरे द्वारा कही गयी। उनके द्वारा कागज नहीं दिखाया गया। विनोद सभासद, बाबा गोरखनाथ व खन्नू सभी लोग चले गये। उपरोक्त बातें बृहस्पतिवार की है। आज 01.30–2.00 दोपहर मेरे द्वारा सफाई (जमीन) की शुरू करने पर, पप्पू प्रजापति ,राजेन्द्र प्रजापति व शेरू मेरी सास शिवकला मौके पर आकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ने पर राजेन्द्र प्रजापति ने कहा

फूंक देंगे, तुम मर जाओगी। राजेन्द्र प्रजापति द्वारा घर के अंदर से प्लास्टिक की पिपिया में तेल (मिट्टी का) लेकर आये, राजेन्द्र प्रजापति ने तेल डाल दिया और माचिस से आग लगा दिये। मैंने भागने का प्रयास किया। राजेन्द्र जबरदस्ती पकड़ कर आग लगा दिये। मैं छुड़ा कर भागी, मोहल्ले के लोग आ गये। जान नहीं पाये। मोहल्ले के लोग कथड़ी आदि डालकर बुझाए। पप्पू प्रजापति व शेरू ने मारपीट की थी। इसके बाद मैंने मज़रूबा से पूछा कि उसे कुछ और बयान देना है तो उसने कहा कि नहीं।" इस प्रकार समय 11.25 P.M पर बयान प्रारंभ करते हुए समय 11.50 P.M पर मज़रूबा अनीता का बयान पूर्ण किया। बयान पूर्ण करने के पश्चात तत्समय बाहर उपस्थित आकस्मिक चिकित्साधिकारी को अंदर बुलाकर मज़रूबा अनीता का स्वास्थ्य एवं फिटनेस परीक्षण बयान के अंत में अंकित करने का अनुरोध किया। जिसके बाद आकस्मिक चिकित्साधिकारी ने अंदर आकर मज़रूबा का फिटनेस परीक्षण करके फिटनेस परीक्षण रिपोर्ट बयान के मार्जिन पर अंकित किया और अपना हस्ताक्षर किया और मोहर लगायी। इसके बाद आकस्मिक चिकित्साधिकारी के सामने मैंने मज़रूबा अनीता का दाहिना अंगूठा जला होने के कारण उसका बायां अंगूठा लगवा कर उसकी पहचान प्रमाणित किया।

37. उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने मृतका अनीता से बयान लेने से पूर्व उनके मेंटल स्टेटस या मेंटल स्थिति के बावत कोई प्रशन पूंछे जाने के संबंध में जानने के संबंध में प्रश्न किया गया। जिसके उत्तर में साक्षी ने कहा कि उसके साथ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर गये थे, उन्होंने मृतका से प्रश्न किए थे व चिकित्सीय परीक्षण किया और महिला सभी प्रश्नों का स्वाभाविक उत्तर दे रही थी और मेडिकल ऑफिसर ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कर मानसिक स्थिति के संबंध में सवाल पूंछे थे, फिर फिटनेस देने पर उनके द्वारा बयान लिया गया था। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह भी बताया है कि उन्होंने बयान में मृतका से उसका नाम, पता आदि के संबंध में सवाल किये थे, उसने स्वाभाविक उत्तर दिया था। उसके बाद मैंने घटना के संबंध में बयान लिया था।

38. इसी क्रम में अभियोजन ने पी०डब्लू 2 **डॉ० विपिन कुमार वर्मा** को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 08.10.2016 मृतक अनीता को कां० अवधेश यादव व हे०कां०अंजू चौहान, उनके समक्ष पोस्टमार्टम हेतु लाये थे। पोस्टमार्टम 3.30 P.M पर प्रारंभ कर 4.00 P.M पर समाप्त किया और शव 2.40 P.M पर प्राप्त किया था। मृतका दिनांक 02.10.2016 को समय सायं 3.15 बजे से जिला अस्पताल में भर्ती थी। जिसकी चिकित्सालय में ही दिनांक 07-10-2016 को मृत्यु हुई थी। शव की ऊंचाई 142 सेमी० मध्यम औसत कदकाठी की थी। शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन (Rigor Mortim) शरीर में अकड़न मौजूद थी। आंख और मुंह बंद थे। **मृत्यु पूर्व बाह्य चोटें (Anti Mortim injuries)** (1)Super फोरसेमब व डाय वर्न इंजरी पूरे शरीर पर, केवल कुछ भाग को छोड़कर लेफ्ट (बांया पैर) बाया जांघ पैर और

दाहिने पैर का कुछ भाग दाहिना पैर और सिर। (2) Vigo दाहिने पैर में लगा हुआ था। (3) लाइन आफ रेटुनेस कुछ भाग में उपस्थित थे। (4) Granulation Tissues कुछ भाग में उपस्थित था। (5) लगभग 75 प्रतिशत जली हुई थी।**<u>शव का आंतरिक परीक्षण-</u>** मस्तिष्क व खिल्लियाँ कंजेस्टेड थीं, दांत 15/8 थे। सांस नली में झाग मौजूद थे। दोनों तरफ के फेफड़ों को काटने पर उनमें मवाद की थैलियां उपस्थित थी, हृदय का दाहिना चेम्बर फुल था, बायां खाली था। **उदरः**-अमाश्य में लगभग 50 M.L द्रव था। छोटी आंत में पेस्टी मटेरियल व गैस मौजूद थीं। बड़ी आंत में फ़ीकल मैटर व गैस थी। यकृत (लीवर) कंजेस्टेड था और पीताशय व गुर्दे कंजेस्टेड थे। मूत्राशय खाली था। पेशाब की नली लगी हुई थी। गर्भाशय (Non Groved) था। **<u>मृत्यु का कारणः</u>**- सैप्टिसीमिया शॉक व एन्टी मार्टम बर्न के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को **प्रदर्श क-2** के रूप में प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी ने मृत्यु का कारण सैप्टिसीमिया के कारण होना बताया तथा मृतका के शरीर पर बर्न के अलावा अन्य कोई चोट होने से इंकार किया।

39. इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु कालिक बयान के संबंध में दिये गये उपरोक्त दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो प्रकरण में अभियोजन साक्षी सं०-6 द्वारा बयान अंकित किया गया है और अभियोजन साक्षी सं०-11 द्वारा अनीता के मृत्यु कालिक बयान से पूर्व फिटनेस देने के पश्चात ही अनीता का मृत्यु कालिक बयान अंकित किया गया है और पी०डब्लू-11 द्वारा मृत्यु कालिक बयान के पश्चात भी अनीता की फिटनेस के संबंध में पृष्ठांकन किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतक अनीता का मृत्यु कालिक कथन अंकित करने वाले अभियोजन साक्षी सं०-6 तहसीलदार विनीत कुमार ने अनीता के स्वस्थ्य होने के पश्चात ही उसका बयान अंकित किया गया और यह भी स्पष्ट है कि बयान उसके द्वारा सिर्फ मृतका और स्वयं की उपस्थिति के दौरान लिया गया। जिस समय बयान लिया गया, बचाव पक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि मृतका अशक्त थी जबकि इसके विपरीत अभियोजन द्वारा साबित किया गया है कि वह बयान देने की स्थिति में थी, इसलिए उसका मृत्युकालिक बयान अंकित किया गया। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा मृत्यु कालिक बयान के संदर्भ में प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता।

40. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, राजेन्द्र कुमार व शेरू पर मिट्टी का तेल डालकर अनीता की हत्या करने का आरोप है किन्तु न्यायालय को यहां मृतका द्वारा मृत्यु पूर्व दिये गये बयान का सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा। मृतका ने अपने मृत्यु कालिक बयान में यह कथन किया गया है कि "लोहिया आवास आया था। पप्पू प्रजापति (जेठ) राजेन्द्र प्रजापति (जेठ) व शेरू पुत्र पप्पू प्रजापति ने कहा कालोनी नहीं बनने देंगे। इस बात को लेकर विवाद हो गया। विनोद सभासद बाबा गोरखनाथ, खन्नू इसके पिता का नाम मालूम नहीं है, मौके पर सब इकट्ठा थे। कागज दिखाने के बात मेरे

द्वारा कही गयी। उनके द्वारा कागज नहीं दिखाया गया। विनोद सभासद, बाबा गोरखनाथ व खन्नू सभी लोग चले गये। उपरोक्त बातें बृहस्पतिवार की है। **आज 01.30–2.00 दोपहर मेरे द्वारा सफाई (जमीन) की शुरू करने पर, पप्पू प्रजापति ,राजेन्द्र प्रजापति व शेरू मेरी सास शिवकला मौके पर आकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ने पर राजेन्द्र प्रजापति ने कहा फूंक देंगे, तुम मर जाओगी। राजेन्द्र प्रजापति द्वारा घर के अंदर से प्लास्टिक की पिपिया में तेल (मिट्टी का) लेकर आये, राजेन्द्र प्रजापति ने तेल डाल दिया और माचिस से आग लगा दिये**। मैंने भागने का प्रयास किया। राजेन्द्र जबरदस्ती पकड़ कर आग लगा दिये। मैं छुड़ा कर भागी, मोहल्ले के लोग आ गये। जान नहीं पाये। मोहल्ले के लोग कथड़ी आदि डालकर बुझाए। **पप्पू प्रजापति व शेरू ने मारपीट की थी**। मृतका के उक्त मृत्यु कालिक बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतका ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि **झगड़ा बढ़ने पर राजेन्द्र प्रजापति ने कहा फूंक देंगे, तुम मर जाओगी। राजेन्द्र प्रजापति द्वारा घर के अंदर से प्लास्टिक की पिपिया में तेल (मिट्टी का) लेकर आये, राजेन्द्र प्रजापति ने तेल डाल दिया और माचिस से आग लगा दिये**। मृतका ने अपने बयान में डूडा का लोहिया आवास आने पर पप्पू प्रजापति, राजेन्द्र प्रजापति व शेरू के द्वारा उसकी कॉलोनी (आवास) नहीं बनने देने की बात कही है। मौके पर लोग इकट्ठा होने की भी बात कहीं है। कागज दिखाने की भी बात कहीं गई है। विनोद सभासद, बाबा गोरखनाथ, खुन्नू सभी लोग चले गये। उपरोक्त बातें बृहस्पतिवार की होने की बात कहीं है। अर्थात घटना वाले दिन से पहले की यह बात कहीं गई हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि पप्पू प्रजापति व शेरू द्वारा मारपीट करने की बात वृहस्पतिवार की घटना के परिप्रेक्ष्य में कहीं गई है अथवा घटना दिनांक 02.10.2016 के परिप्रेक्ष्य में कही गई है। चूंकि स्वयं मृतका अनीता ने अपने मृत्यु कालिक बयान, जो कि इस प्रकरण में मुख्य आधार है, में स्पष्ट रूप से केवल राजेन्द्र प्रजापति के द्वारा **घर के अंदर से प्लास्टिक की पिपिया में तेल (मिट्टी का) लेकर आये, राजेन्द्र प्रजापति ने तेल डाल दिया और माचिस से आग लगा देने** का कथन किया गया है।

41. अभियोजन की ओर से औपचारिक गवाहों में पी०डब्लू-7 कास्टेबल मुंशी छोटेलाल यादव को परीक्षित कराया गया। जिसके द्वारा चिक एफ.आई.आर और कायमी जी०डी० को क्रमशः प्रदर्श क-5 व प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया गया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वादी ने तहरीर देने अकेले आया था। तहरीर के आधार पर चिक प्रदर्श क-5 कम्प्यूटर आपरेटर से बोल-बोल कर फीड़ करायी थी।

42. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत औपचारिक साक्षीगण के संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क था कि विवेचना सही नहीं की गई है और बिना निष्पक्ष विवेचना किये आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मृत्यु के उपरान्त पिपिया की फर्जी बरामदगी दिखाई गई है। इस संबंध में पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो पी०डब्लू 10 कृष्ण प्रताप सिंह, चौकी इंचार्ज हसनूमऊ कटरा, थाना कैण्ट ने साक्ष्य दिया है कि उनके द्वारा

दिनांक 08.10.2016 को जिला चिकित्सालय अयोध्या के वार्ड बॉय द्वारा मृतका अनीता के मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर साक्षी कास्टेबल अवधेश कुमार मय जिल्द पंचनामा व अन्य दीगर कागजात व महिला कांस्टेबल के साथ मर्चरी हाउस जिला अस्पताल फैजाबाद पहुँचा। पंचान नियुक्त कर पंचनामा की कार्यवाही समय 13.25 बजे प्रारम्भ कर 14.15 बजे समाप्त की गई। दौरान पंचनामा कार्वयाही साक्षी ने मृतका के शव की दशा, पहनावा, चोट व हुलिया का विवरण अंकित कर पंचों की राय ली। पंचनामा साक्षी द्वारा मौके पर लिख–पढ़कर व सुनाकर मृतका के शव को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मुहर कर सम्बन्धित कास्टेबल को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पी.एम कराने हेतु सुपुर्द किया गया। साक्षी ने अपने साक्ष्य में पंचनामा को **प्रदर्श क–13** के रूप में प्रमाणित किया तथा पंचनामा से संबंधित दीगर प्रपत्रों चिट्ठी सी०एम०ओ०, फोटोनाश, मृत्यु की सूचना/मेमों, कार्बन प्रति जी० डी० मृत्यु सूचना, नमूना मुहर, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक एवं पुलिस फार्म सं 13 को भी प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यह कथन किया है कि मैंने दिनांक 08.10.2016 को पंचायतनामा किया था। पंचायतनामा में भूलवश एफ.आई.आर सं 336/2016 लिखना रह गया होगा। पंचायतनामा प्रदर्श क–13 में इस बात का उल्लेख है कि जिला चिकित्सालय पहुँचने पर मुझे मृतका के परिवारजन मिले थे। **दशरथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2004)7 एस.सी.सी पेज 408** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के अनुसार विवेचक द्वारा विवेचना में की गई अनियमित्ता एवं कमी के आधार पर अन्यथा साबित अभियोजन कथानक को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

43. बचाव पक्ष के द्वारा अपनी सफाई में **डी०डब्लू-1** के रूप में मृतका अनीता की बड़ी पुत्री **कोमल** को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के समय घर के भीतर रसोई में होना कहा है और अपनी मां की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज सुनने का भी कथन किया है। इसी के साथ एम्बुलेंस द्वारा उसने अपनी मां को जिला अस्पताल ले जाने का भी कथन किया है और यह भी बताया है कि वह अपनी मां के साथ जिला अस्पताल में लगातार थी। मेरे चाचा राजकुमार अपने बड़े बेटे शेरू के साथ एम्बुलेंस के पीछे मोटर साइकिल से जिला अस्पताल आये थे। किन्तु उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अस्पताल में मेरी माँ जली अवस्था में 6 दिन तक भर्ती रही और उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी। पंचनामे की कार्यवाही के दौरान मेरे परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। जिस समय मैं अपनी मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, उस समय भी मेरे परिवार का कोई मौजूद नहीं था। दाह संस्कार किसने किया था, इसकी जानकारी भी उसे नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने विरोधाभासी साक्ष्य दिया है क्योंकि यदि उसके परिवार के व्यक्ति एम्बुलेंस के पीछे मोटरसाइकिल से आये थे, तो जिस समय अनीता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, उस समय उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद न हो, अस्भाविक है।

44. अभियुक्तगण पर घटना की तिथि 02.10.2016 को लोक शान्ति भंग कराने के आशय से अनीता को गाली गुप्ता देकर उसे प्रकोपित करने का भी आरोप है, किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण द्वारा अनीता या उसके परिवार को गाली देकर अपमानित व प्रकोपित किया गया हो।

45. इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा **राजेन्द्र कुमार** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार** धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता **दोषसिद्ध** किये जाने योग्य है तथा धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा तथा शेरू आरोप अन्तर्गत धारा 302, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 106/2017, मुकदमा अपराध संख्या 336/2016, थाना कैण्ट, जनपद अयोध्या के प्रकरण में अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार** को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए **दोषसिद्ध** किया जाता है तथा धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण **राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, शेरू** को धारा 302, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायाय के समक्ष उपस्थित है। केवल अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार** को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए पत्रावली लन्च पश्चात पेश हो।

दिनांक 13.03.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद अयोध्या

<u>लन्च पश्चात</u>

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार** के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को कम से कम दण्ड व कम से कम जुर्माने से दण्डित करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अभियुक्त का यह पहला अपराध है। बेरोजगार व्यक्ति है। कोई पैरवी करने वाला नहीं है। इसके विपरीत विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रिमिनल ने अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड देने का अनुरोध किया है।

धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित नहीं किया गया है जो विरल से विरलतम श्रेणी में होने के कारण मृत्यु दण्ड की कोटि में आता हो। बल्कि अभियुक्त द्वारा मृतक अनीता को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर उसकी हत्या कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आजीवन कारावास और बीस हजार रूपये का अर्थदण्ड देने से मेरे विचार से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार** को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा करने में चूक पर अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि दण्डादेश में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर उसे जिला कारागार प्रेषित किया जाये। उक्त निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये। माल मुकदमा यदि कोई हो तो उसे बाद बीतने मियाद नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

अभियुक्त **राजकुमार उर्फ पप्पू बाबा, शेरू** प्रत्येक द्वारा दं०प्र०सं० की धारा–437 ए के अनुसार मुवलिग–50,000/–(पचास–पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू 07 दिवस के अन्दर छः माह की समय अवधि हेतु दाखिल किये जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 13.03.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद अयोध्या

उक्त निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 13.03.2026

(सुरेन्द्र मोहन सहाय)
J.O.Code U.P6117
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद अयोध्या